[दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.391-आपराधिक अपील में अतिरिक्त साक्ष्य-जब अस्वीकार्य हो-प्रतिवादी नं.1-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी-प्रतिवादी द्वारा उच्च विचारण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई दोषसिद्धि और सजा, उसकी मानसिक अस्वस्थता की याचिका के संबंध में साक्ष्य दर्ज करने के लिए भी आवेदन दायर किया गया था-आवेदन की अनुज्ञात गई, निचली अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने और अतिरिक्त साक्ष्य के साथ फाइल को वापस भेजने का निर्देश दिया गया था-शिकायतकर्ता की अपील पर, कहा गयाःप्रत्यर्थी की मानसिक स्थिति के बारे में साक्ष्य पहले से ही रिकॉर्ड में था-उसने अपनी मानसिक अक्षमता के पहलू को सामने रखने के लिए खुद को डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में भी जांचा-जांचा-जांचा आक्षेपित अदालत और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में तथ्य और निष्कर्ष उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे-अपील पर विचार करते समय, उसे यह निर्णय लेने से पहले रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करनी चाहिए थी कि क्या मामले में किसी और सबूत की आवश्यकता है या नहीं-पक्षकारों को गुण-दोष के आधार पर सुने बिना और निचली अदालत में मौजूद रिकॉर्ड और तर्क की जांच किए बिना अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति के लिए आवेदन का निर्णय लेना, स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, यदि किसी भी अतिरिक्त सबूत को आवश्यक माना जाता, तो इसे स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा लिया जा सकता था या शासन को निर्देश देकर लिया जा सकता था।302,84.

/

/

/

/

/

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.391-का दायरा-आयोजितःआपराधिक अपील में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के प्रस्ताव को अपीलीय न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है-अपीलीय न्यायालय अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनुरोध पर केवल योग्यता के आधार पर सुनवाई के बाद ही विचारपूर्वक निर्णय ले सकता है, न कि पहले।

/

820

821

लखन सिंह बनाम अमरजीत सिंह और ए. एन. आर.

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 2191।

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 29.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से। सी. आर. एल. में 2020 का एम. ए. No.1828। 2019 का ए. सं. 453।

/

तन्मय मेहता, लक्ष्य गुप्ता, वी. के. सिद्धार्थन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., रोशन संथालिया, सुश्री सुरुचि जैसवाल, पी. वी. योगेश्वरन, सुश्री विशाखा,राघव शर्मा, अक्षित प्रधान, सुश्री श्रुति अग्रवाल, सुश्री जान्हवी प्रकाश,कार्तिक डे, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

अनुमति दी गई।

/

2. इस अपील के माध्यम से, 2011 की एफ. आई. आर. संख्या 211 से उत्पन्न आपराधिक मामले के शिकायतकर्ता ने सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश पर सवाल उठाया है। 2019 की आपराधिक अपील संख्या 453 में

2020 की एम. ए. संख्या 1828, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 और 391 के संदर्भ में अभियुक्त-आवेदक (उच्च विचारण न्यायालय -प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपीलकर्ता) द्वारा दायर एक आवेदन को अनुज्ञात और निचली अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया, जैसा कि विषय आवेदन में उल्लेख किया गया है; और अतिरिक्त साक्ष्य के साथ फाइल को वापस भेजना।

/

/

3. मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह हैं कि 2019 की आई. डी. 2 वाली उक्त अपील आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 2011 की एफ. आई. आर. संख्या 211 के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी अदालतों, पश्चिम दिल्ली द्वारा पारित किए गए आई. डी. 3 दिनांकित दोषसिद्धि के निर्णय और आई. डी. 1 दिनांकित सजा पर आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

/

1 'संक्षेप में सी. आर. पी. सी.।2 'आई. पी. सी. ', संक्षेप में।

/

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति और इसमें हमारे द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, सभी तथ्यात्मक पहलुओं का वर्णन आवश्यक नहीं है।वर्तमान उद्देश्य के लिए यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अपनी दोषसिद्धि और सजा के लिए निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि घटना की तारीख को, वह अस्वस्थ दिमाग का था और इसलिए, इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। और ऐसे प्रासंगिक तथ्य पर विचारण विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।इस याचिका के समर्थन में, आवेदक ने अन्य बातों के अलावा, मेडिकल स्टोर बिल दिनांक 12.07.2011 के साथ 12.07.2011 और 19.07.2011 की ओ. पी. डी. रिपोर्टों पर भरोसा करने की मांग की; और उस डॉक्टर की जांच करने की मांग की, जिसने उनकी देखभाल

की थी और दवाएं निर्धारित की थीं और साथ ही उस केमिस्ट की भी जांच करने की मांग की, जिसने ऐसी दवाओं की आपूर्ति की थी।आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया कि वह घटना के दिन उसकी चिकित्सा स्थिति का पता लगाने के लिए निदेशक, आई. एच. बी. ए. एस., दिलशाद गार्डन, दिल्ली या आई. एच. बी. ए. एस. के किसी भी डॉक्टर की जांच करना चाहता है, साथ ही उसके पिता की भी, जिनके पास उक्त ओ. पी. डी. रिपोर्ट और दवाओं के बिल का मूल रिकॉर्ड था।

/

/

/

5. आवेदन की सामग्री और धारा 391 सी. आर. पी. सी. 3 के प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने देखा कि राज्य की ओर से, मनोविकार की याचिका के संबंध में साक्ष्य दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, जिसे आवेदक उठाना चाहता था और जिसे मुकदमे में विचार नहीं किया गया था; और यह भी कहा कि जिन तर्कों का आग्रह किया जाना था, वे मामले की जड़ तक जा रहे थे।इन विचारों पर और सामान्य अपवाद के संदर्भ में

/

3 धारा 391 सी. आर. पी. सी. निम्नानुसार हैः- “391. अपीलीय न्यायालय आगे साक्ष्य ले सकता है या इसे लेने का निर्देश दे सकता है।- (1) इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी अपील से निपटने में, अपीलीय न्यायालय , यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है, तो अपने कारणों को दर्ज करेगा और या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है, या इसे मजिस्ट्रेट द्वारा लेने का निर्देश दे सकता है, या जब अपीलीय न्यायालय सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च न्यायालय हो।

/

(2) जब सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, तो वह अपीलीय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को प्रमाणित करेगा और फिर ऐसा न्यायालय अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

/

(3) अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने पर अभियुक्त या उसके वकील को उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अंतर्गत साक्ष्य लेना अध्याय XXIII के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसे कि यह एक जांच थी। "

/

/

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 84 4 में उपबंधित, उच्च विचारण न्यायालय ने आवेदक को विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित समझा।हालांकि उच्च विचारण न्यायालय ने व्यक्त किया कि अपील को वापस भेज दिया गया था, लेकिन निर्देश जारी किए कि निचली अदालत कम से कम संभव तारीखें देने के बाद साक्ष्य दर्ज कराएगी और उसके बाद, अतिरिक्त साक्ष्य के साथ फाइल वापस कर दी जाएगी।

/

6. उच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ और निर्देश निम्नानुसार हैं:-

“9.हमारे समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने पागलपन की याचिका के संबंध में साक्ष्य दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं दी है, जिसे अपीलार्थी अब उठाना चाहता है, क्योंकि मुकदमे के दौरान उन पर विचार नहीं किया गया था, और यह भी कि अपीलार्थी द्वारा इस स्तर पर उठाए गए तर्क मामले की जड़ तक जाते हैं; अपीलार्थी अपनी मानसिक स्थिति से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखना चाहता है और साथ ही अपने तर्क के समर्थन में गवाहों से पूछताछ करना चाहता है; और हमारी सुविचारित राय में यह वर्तमान मामले में कमी को भरने के बराबर नहीं है।पागलपन की याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आती है और इसका निश्चित रूप से इस मामले पर असर पड़ेगा।अन्यथा भी यह अवलोकन करना उचित है कि आवेदक/अपीलार्थी ने वास्तव में विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे के चरण में अपने अस्वस्थ दिमाग का मुद्दा उठाया था जिसे खारिज कर दिया गया था और दिनांक 1 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।इस प्रकार, मामले के इस दृष्टिकोण में, और न्याय के हित में, हम आवेदक/अपीलार्थी को विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति देना उचित समझते हैं।

/

/

/

/

10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 दिनांक 23.01.2020 की धारा 311 के अंतर्गत विषय आवेदन में उल्लिखित अतिरिक्त साक्ष्य और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए विद्वत विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ अपील वापस भेज दी जाती है।फ़ाइल को ऐसा होने दें

/

4 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 84 निम्नानुसार है:- “84.अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति का कार्य।- कुछ भी अपराध नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो इसे करने के समय, मन की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या कि वह वही कर रहा है जो या तो गलत है या विधि के विपरीत है। "

संबंधित विचारण विचारण न्यायालय में मामले को चिह्नित करने के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश-तीस हजारी विचारण न्यायालय ों के समक्ष रखा जाता है और संबंधित विचारण विचारण न्यायालय साक्ष्य दर्ज करने के लिए सबसे कम संभव तिथि निर्धारित करेगा।विचारण विचारण न्यायालय आवेदक/अपीलार्थी को अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए एक से अधिक अवसर नहीं देगा और कोई अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।इसके बाद, फाइल को दर्ज किए गए अतिरिक्त साक्ष्य के साथ इस न्यायालय को वापस भेज दिया जाएगा। "

/

7. उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में निर्दिष्ट 20.02.2014 दिनांकित आदेश पर वास्तव में इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 12.10.2015 में दिनांकित 12.10.2015 आदेश में विचार किया गया था और पुष्टि की गई थी। और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश के अनुरूप नहीं है।

/

7.1.विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि मुकदमे के दौरान, अभियुक्त-आवेदक की ओर से दिनांकित 17.11.2011 आवेदन में दो गुना प्रस्तुतियाँ की गईंःएक घटना के समय उनकी मानसिक बीमारी के बारे में और दूसरा मुकदमे के दौरान उनकी मानसिक अस्वस्थता के बारे में; और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 330 के संदर्भ में राहत मांगी। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि दिनांकित 20.02.2014 के आदेश में, इस प्रकार किए गए आवेदन पर विचारण विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया था और फिर, इस उद्देश्य के लिए जांचे गए गवाहों के बयान के संदर्भ में इसे खारिज कर दिया गया था।विद्वान वकील ने बताया है कि दिनांकित 20.02.2014 के आदेश में, विचारण विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया और अभिनिर्धारित किया हैः-

/

/

“18. मेरा विचार है कि सी. डब्ल्यू.-1 और सी. डब्ल्यू.-2 के बयान और आई. एच. बी. ए. एस. की आई. डी.-1 की अगली रिपोर्ट को देखते हुए, आरोपी मुकदमे का सामना करने के लिए

उपयुक्त है।अभियुक्त अपना बचाव करने में असमर्थ नहीं है।अभियुक्त के पिता सुनेहरा सिंह द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 330 के अंतर्गत आवेदन बिना किसी गुणदोष के है और इसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।इसके साथ आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है। "

/

/

7.2.विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि उक्त आदेश की इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 12.10.2015 आदेश में विशेष रूप से पुष्टि की गई है, जो नीचे दिया गया हैः-

"छुट्टी दे दी गई।

/

825

लखन सिंह बनाम अमरजीत सिंह और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

प्रतिवादी-अमरजीत सिंह के मुकदमे को निलंबित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर आक्षेप करते हुए मृतक के ससुर द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है।जिस प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया, वह मुकदमे का सामना करने के लिए उत्तरदाताओं की मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित था।जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, उच्च न्यायालय ने 06.02.2013 पर एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए पहले चिकित्सा मूल्यांकन पर भरोसा किया।इसने विचारण न्यायालय द्वारा जांचे गए दो न्यायालय ी गवाहों के बयान पर भी भरोसा किया, अर्थात्, सी. डब्ल्यू.-1 पर 20.07.2013 और सी. डब्ल्यू.-2 पर 11.10.2013।

/

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की दिनांक 01.01.2014 की दूसरी रिपोर्ट पर भी विचार किया।उपरोक्त दोनों चिकित्सा रिपोर्टों में, और साथ ही, न्यायालय के दो गवाहों द्वारा निचली न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में, प्रतिवादियों को मुकदमे का सामना करने के लिए उपयुक्त माना गया था।मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में और इस विषय पर विशेषज्ञों की राय/बयानों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा 04.09.2014 पर मुकदमे को निलंबित करने के लिए जारी किया गया निर्देश उचित नहीं था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है।मुकदमे का सामना करने के लिए प्रतिवादियों की योग्यता की पुष्टि करते हुए निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 20.02.2014 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

/

/

/

उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलों की अनुज्ञात जाती है। "

7.3.विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि घटना के समय और विचारण के दौरान आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक क्षमता के संबंध में दोनों मुद्दे उपरोक्त आदेशों द्वारा समाप्त किए गए हैं; और उच्च न्यायालय को समान पहलुओं पर आगे के साक्ष्य का अवसर देने में उचित नहीं ठहराया गया है।

/

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश और इस विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2 के आदेश में, केवल आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या 1 की विचारण का सामना करने की मानसिक क्षमता के संबंध में पहलू पर विचार किया गया और उस पर निर्णय लिया गया, लेकिन घटना के समय उनकी मानसिक क्षमता और उनके कार्यों की प्रकृति को जानने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से विचार के लिए एक प्रश्न बनी हुई है और इसलिए, उच्च विचारण न्यायालय ने विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

/

/

8.1.विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने एक विशेष दृष्टिकोण लिया है जो न्यायपूर्ण और उचित है और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करता है, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311,391 और 330 के प्रावधानों के संदर्भ में हमारी विधिवत सहायता की है।

/

10. प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने और अभिलेख की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आक्षेपित आदेश को एक से अधिक कारणों से कायम नहीं रखा जा सकता है।

11. जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 1 के मानसिक अस्वस्थता के प्रश्न का संबंध है, यह देखा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 330 के संदर्भ में विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन में, उनकी ओर से यह तर्क था कि वह घटना की अवधि के दौरान मानसिक बीमारी से पीड़ित थे।यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अस्वस्थ दिमाग होने के कारण, वह अपना बचाव करने में असमर्थ था।यह भी देखा गया है कि कार्यवाही के पहले दौर में, उच्च विचारण न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया और विशेषज्ञ/चिकित्सा बोर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 की जांच के लिए निर्देश जारी किए।इसके बाद, मेडिकल बोर्ड द्वारा आवेदक की जांच कराने के लिए फाइल को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया।मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कि प्रतिवादी नंबर 1 मुकदमे का सामना करने के लिए उपयुक्त था, विचारण न्यायालय ने मामले को गवाहों की जांच के लिए पोस्ट किया और वास्तव में, दो डॉक्टरों की क्रमशः सी. डब्ल्यू.-1 और सी. डब्ल्यू.-2 के रूप में जांच की। अभिलेख पर सम्पूर्ण साक्ष्य पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे का सामना करने के लिए उपयुक्त था और अपना बचाव करने में असमर्थ था।इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया गया।इस न्यायालय ने विशेष रूप से विशेषज्ञों की राय/बयान को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को मंजूरी दे दी और उच्च न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं पाया।

/

/

/

/

12. तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, जब वास्तव में आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत याचिका पर विचार करने के उद्देश्य से साक्ष्य लिया गया था और विचारण विचारण न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट दृष्टिकोण लिया गया था, जिसे इस विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में पुष्टि की गई थी, तो हमें उसी प्रकृति के और साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति देने और उस उद्देश्य के लिए मामले को विचारण विचारण न्यायालय में भेजने में उच्च विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी देना मुश्किल लगता है।

/

/

लखन सिंह बनाम अमरजीत सिंह और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

13. वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को अनुमोदित करना मुश्किल है, विशेष रूप से जब आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति के संबंध में विशिष्ट साक्ष्य पहले से ही रिकॉर्ड में है और फिर, यह भी देखा जाता है कि उसकी मानसिक अक्षमता के पहलू को स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गवाह-बॉक्स में प्रवेश करके और खुद को डीडब्ल्यू-2 के रूप में जांच करके सामने रखने की कोशिश की गई थी।निचली अदालत और इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के तथ्य और निष्कर्ष उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हैं।अपील पर विचार करने वाले उच्च न्यायालय को यह निर्णय लेने से पहले अभिलेख की सामग्री की जांच करनी चाहिए थी कि मामले में किसी और सबूत की आवश्यकता है या नहीं।दूसरा, यदि वर्तमान मामले की परिस्थितियों और याचिका की प्रकृति की समग्रता में किसी भी और साक्ष्य को आवश्यक माना जाता था, तो ऐसे साक्ष्य को स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा लिया जा सकता था या रजिस्ट्री को ऐसा करने का निर्देश दिया जा सकता था, निश्चित रूप से, इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करने के बाद।

/

/

13.1.संक्षेप में कहें तो यह स्पष्ट है कि दिनांक 1 का आदेश पारित करते समय, न तो इस न्यायालय द्वारा 2 पर पारित आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है और न ही रिकॉर्ड पर पहले से उपलब्ध साक्ष्य की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई है।

/

14. आपराधिक अपील में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के प्रस्ताव को अपीलीय न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है और वास्तव में, अपीलीय न्यायालय के लिए अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनुरोध पर विचारशील निर्णय लेने का अवसर केवल योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई के बाद ही आ सकता है, न कि पहले।अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अपील में दायर आवेदन पर विचार करना और अपील के गुण-दोष पर पक्षों को सुने बिना और मामले के रिकॉर्ड और विचारण न्यायालय में प्रचलित तर्क की जांच किए बिना इसका निर्णय लेना, हमारे विचार में, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

/

/

15. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, दिनांकित 29.03.2022 का आक्षेपित आदेश होने का हकदार है और इसे इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और 2019 की आपराधिक अपील, विधि के अनुसार उच्च न्यायालय के पुनर्विचार के लिए बहाल की जाती है।

/

16. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हम दिनांकित 29.03.2022 आदेश को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर विचार के लिए अपील को बहाल करते हुए, हम 2020 के उक्त आवेदन, Cr.M.A. 1828 को भी बहाल करेंगे, जैसा कि आवेदक-प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था।

/

नं. 1, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और आवश्यक समझे जाने पर उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं।17. पक्ष अपने संबंधित वकील के माध्यम से 2019 की आपराधिक अपील No.453 में 10.01.2023 पर उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस पर खड़े होंगे।

/

18. मामले की परिस्थितियों की समग्रता में, उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान अपने आदेश दिनांक 15.09.2022 में की गई अंतरिम व्यवस्था उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों की उपस्थिति की पहली तारीख यानी 10.01.2023 तक जारी रहेगी।

/

19. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और गुण-दोष से संबंधित सभी पहलू उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा तर्क दिए जाने के लिए खुले हैं।20. पूर्वगामी टिप्पणियों, छूटों और आवश्यकताओं के साथ, अपील की अनुज्ञात है।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/

/

/